UPUN010043122026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1827/2026

गोर्वधन उर्फ धनपत उम्र लगभग 33वर्ष पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम सरइयॉ, पोस्ट व थाना असोहा, जनपद उन्नाव उ0प्र0। ————अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।
————विपक्षी।

20.07.2026

अभियुक्त गोर्वधन उर्फ धनपत द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–156/2026, धारा–109(1),115(2), 118(1)बी0एन0एस0, थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 14.06.2026 समय शाम लगभग 07.30बजे आदेश यादव, धनपति नाई व नीरज, वादी शिवकान्त पाण्डेय के भाई रोशन पाण्डेय उर्फ निशाकान्त पाण्डेय को बोरिंग कराने को कहकर अपने साथ लिवा ले गए, नया खेड़ा मोड़ स्थित दारू ठेका की दुकान की दूसरी मंजिल पर उसे ले गए, वहां पर जान से मार डालने की नियत से लात घूसो व लोहे की राड व सरिया से मारकर अधमरा कर दिया व सिर पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया कि, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। चोटहिल को आयी चोटें गंभीर प्रकृति की नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। सह अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। वह दिनांक 17.06.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न ही विचाराधीन है, उक्त आधार पर उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि उसके द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी। उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। उसने कोई अपराध नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त व दो अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई रोशन पाण्डेय को लात घूसो व लोहे की राड व सरिया से मारपीट कर चोटें पहुॅचाने का कथन किया है। घटना दिनांक 14.06.2026 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.06.2026 को तीन दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। चोटहिल रोशन पाण्डेय का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 15.06.2026 को डा0 जावेद सिद्दीकी द्वारा किया गया। चोटहिल के शरीर पर दो चोटें पायी गयी, जिसमें चोट नं0–1 साधारण प्रकृति की थी, जो सख्त कुन्दालय से पहुॅचायी गयी एवं एक दिन पुरानी थी। एल्कोहल परीक्षण के लिये जिला अस्पताल रेफर किया गया। संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही प्रस्तुत किय गया। सहअभियुक्त नीरज कश्यप की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2026 को

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 17:22:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 17.06.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त गोर्वधन उर्फ धनपत द्वारा अपराध संख्या–156/2026, अर्न्तगत धारा–109(1),115(2), 118(1)बी0एन0एस0, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1827/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–20.07.2026
राकेश/–

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।